न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 92/2018

1. तेजराम पुत्र श्यौजी जाति मीना निवासी शंकरपुर तहसील व जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, करौली जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली मु0न0 14/18, निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2018)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपी0 की ओर से श्री बाबूलाल शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 13.01.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर 13.1.21

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 14/18 निर्णय दिनांक 13.06.2018 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट वादी द्वारा एक घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 346 रकबा 1 बीघा 02 विस्वा बारानी–ए, ख0न0 347 रकबा 0.06 विस्वा बारानी–1, ख0न0 349 रकबा 0.11 विस्वा बारानी–ए, ख0न0 350 रकबा 0.08 विस्वा बजंड–1, ख0न0 360 रकबा 0.14 विस्वा चाही–1 हट्टी पुत्र मदन जाति मीना निवासी शंकरपुर की एवं अर्जित आराजीयात है हट्टी का दिनांक 15.08.2013 को स्वर्गवास हो गया था, वह कुंवारा था उसकी शादी नहीं हुयी थी। अपीलांट/वादी हट्टी के जीवन काल से ही हट्टी की सेवा सुश्रुषा करता था ओर खाना, कपडे देता था तथा उक्त आराजीयात को हट्टी के साथ काश्त कर काश्त का फासदा उठाता चला आ रहा है। वादी की सेवा से प्रसन्न होकर हट्टी ने दिनांक 25.10.2011 को एडवोकेट से एक बसीयतनामा तहरीर व तकमील कराया और उस पर स्वेच्छा से हट्टी ने एवं ... ''मदनमोहन मीना पुत्र खिलाडी मीना जाति मीना निवासी बीजलपुर तहसील करौली ... भूरासिंह मीना पुत्र हजारी जाति मीना निवासी भावली तहसील मासलपुर'' के हस्ताक्षर करवाकर बसीयत नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा दी थी, वादी उक्त आराजीयात पर हट्टी के जमाने से और उसके बाद वसीयत दिनांक 25.10.2011 के आधार पर काबिज काश्त है और वादी दिनांक 15.08.2013 को हट्टी की मृत्यु के बाद से आराजीयात पर बतौर बसीयत काबिज काश्त है और वादी हट्टी की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के बाद उक्त आराजीयात की खातेदारी वसीयत के आधार पर अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है, वादी ने दिनांक 18.05.2018 को प्रतिवादी के यहां वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हट्टी पुत्र मदन मीना निवासी शंकरपुर पेश कर अपने नाम खातेदारी करने की कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया तब वादी ने दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया राजस्व रिकार्ड ऑफ राइटस में अपने नाम की खातेदारी करवाने की इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपी0/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि निर्णय मातहत अदालत आवीट्रेरी परवर्स एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निर्णय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। अपी0 द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसका मातहत अदालत ने कैम्प में अपी0 की अनुपस्थिति मैरिट पर निर्णय कर कानूनी भूल की है। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट की उपस्थिति दर्ज कर कानूनी भूल की है क्योंकि अपीलांट कैंम्प में उपस्थित ही नहीं था ना ही फैसले पर अपीलांट की उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर है मुताबिक कानून जबाब दावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम होने के बाद अपीलांट एवं रेस्पों0 की शहादत होने के बाद बहस सुनकर मैरिट पर फैसला किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होता है अदालत मातहत द्वारा कानून की पालना न कर जबरन फैसलाकर कानूनी भूल की है। अपीलांट को फैसले का पता अभियान होने के कारण नहीं लगा दिनांक 06.08.2018 को फैसले का पता लगने पर दिनांक 20.08.2018 को नकल ली तब जाकर फैसले का पता चला। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

4. विद्वान पैरोकार सरकार ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित आराजी ग्राम शंकरपुर की जमाबंदी सम्बत् 2073–76 में वर्णित खसरा नम्बर हट्टी पुत्र मदन जाति मीना के नाम खातेदारी में दर्ज है हट्टी की मृत्यु के पश्चात वसियत का प्रोबेट सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिग्री पारित की गई है वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया।

Scanned with CamScanner

6. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2073 वाके ग्राम शंकरपुरा के खतौनी सं0 69 अनुसार विवादित आराजी हट्‌टी पुत्र मदन जाति मीना सा0 देह के नाम अंकित है। पत्रावली पर हट्‌टी द्वारा की गयी दिनांक 25.10.2011 की वसीयत की फोटो प्रति उपलब्ध है परन्तु हट्‌टी के अन्य वारिस भी होने का प्रार्थना पत्र मन्नू द्वारा राजस्व शिविर में दिया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत का प्रोबेट सक्षम न्यायालम से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय का निणर्य विधि संगत होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर करौली के मु0नं0 14/2018 निर्णय दिनांक 13.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.1.21

(बी एल रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner